

अपीलीय न्यायाधिकरण और न ही इस न्यायालय में प्रतिवादियों द्वारा दायर मामले के बयान में उनमें से किसी का भी उल्लेख किया गया था। इन्हें श्री पी. के. चटर्जी द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत दलीलां में उन्हें पहली बार लिया गया था। हालांकि हमने इससे निपटा है क्योंकि हमने सोचा कि हमें उत्तरदाताओं को किसी भी तर्क के लाभ से वंचित नहीं करना चाहिए, जो संभवतः उनके पक्ष में आगे बढ़ाया जा सकता है।

इसलिए हमारी राय है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की कोई अपील नहीं की जानी चाहिए श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के पास औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। जिसमें अपीलार्थी को एस के तहत प्रत्यर्थियों को आरोपमुक्त करने की अनुमति दी गई थी। जो अधिनियम की धारा 33 और श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये निर्णय को खारिज करने के लिए उत्तरदायी हो।

हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द किया जाता है और औद्योगिक न्यायाधिकरण, बिहार द्वारा 14 मई, 1953 को दिए गए आदेश को बहाल करते हैं। अपीलकर्ता इस अपील की लागत प्रतिवादियों से पाने का हकदार होगा।

अपील की अनुमति

श्री मीनाक्षी मिल्स, लिमिटेड

बनाम

उनके कार्यकर्ता

(और संबंधित अपीलें)

(भगवती, जाफर इमाम और गजेन्द्रगढ़कर जे.जे.)

औद्योगिक विवाद-बोनस-उपलब्ध अधिशेष- कर निर्धारण- आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास का निर्धारण करे, यदि पूर्व शुल्क के रूप में काटा जा सकता है- दावा किया गया मूल्यहास का हिस्सा अस्वीकृत आयकर की अधिक राशि का प्रावधान, यदि अनुमति दी जा सकती है- अपीलीय न्यायाधिकरण की पुनरावलोकन की शक्ति।

श्रमिकों ने इस आरोप पर वर्ष 1950-51 के लिए बोनस की मांग की कि नियोक्ताओं ने संबंधित वर्ष के दौरान लाभ कमाया था। नियोक्ताओं ने इस मांग का विरोध किया और विरोध करने का आधार यह था कि वर्ष में व्यापारिक हानि हुई थी और प्रकार कोई बोनस देय नहीं था। उपलब्ध अधिशेष का निर्धारण करने के लिए जिसमें से बोनस का भुगतान किया जाना था, नियोक्ताओं ने अपने सकल लाभ में से आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य मूल्यहास के लिए एक राशि काट ली गई। औद्योगिक

न्यायाधिकरण ने मूल्यहास के एक हिस्से को अस्वीकार कर दिया और संबंधित वर्ष में जो लाभ हुआ था और श्रमिकों को तीन महीने का बोनस दिया गया था। नियोक्ताओं ने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद नियोक्ताओं ने समीक्षा के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण में आवेदन किया और न्यायाधिकरण ने आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसके पास अपने निर्णय का पुनरावलोकन करने की कोई शक्ति नहीं है और अगर उसके पास शक्ति है तो भी वह पुनरावलोकन की अनुमति नहीं देगा क्योंकि पुनरावलोकन का कोई मामला बनना नहीं पाया गया था।

माना गया कि आयकर अधिनियम के तहत स्वीकार्य संपूर्ण मूल्यहास उपलब्ध अधिशेष का निर्धारण करने में स्वीकार्य नहीं है। प्रारंभिक मूल्यहास और अतिरिक्त मूल्यहास आयकर मूल्यहास में असामान्य वृद्धि है और यदि उपलब्ध अधिशेष का पता लगने से पहले इन मूल्यहास को पूर्व शुल्क के रूप में मूल्यांकित किया जाता है तो यह श्रमिकों के लिए उचित नहीं होगा। जिन विचारों पर आयकर अधिनियम के तहत अतिरिक्त मूल्यहास का अनुदान उचित ठहराया जा सकता है। वे सामाजिक न्याय और निष्पक्ष बंटवारे के विचारों से भिन्न हैं, जिन पर श्रमिकों को बोनस के भुगतान के संबंध में मूल पूर्ण पीठ फॉर्मूला आधारित है। इसलिए

एकाधिक शिफ्ट मूल्यहास सहित केवल सामान्य मूल्यहास को पूर्व शुल्क के रूप में रैंक किया जाना चाहिए।

उ.प्र. इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कामगार (1955) एल.ए.सी. 659, में स्वीकृत किया गया कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण को अपने आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति थी।

एम/एस. मार्टिन बुरु लिमिटेड बनाम आर.एन. बेनर्जी, (1958) एस.सी.आर. 514, अनुसरण किया गया कि नियोक्ताओं के व्यापारिक लाभ को निर्धारित करने में औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई गई विधि एक औद्योगिक विवाद है, आयकर अधिनियम आवश्यकताओं और प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, और इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित सकल लाभ को सकल लाभ माना जा सकता है जो आवश्यक रूप से आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य होगा। बोनस के भुगतान के लिए उपलब्ध अधिशेष का निर्धारण करने में आयकर की अधिक राशि का प्रावधान केवल इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रारंभिक और अतिरिक्त मूल्यहास का दावा अस्वीकार कर दिया गया है, जिससे सकल लाभ की मात्रा में वृद्धि होती है।

सिविल अपील क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 217/1956

निर्णय तिथि से विशेष अनुमति द्वारा अपील की गई।

7 दिसंबर 1953, भारत के श्रम अपील न्यायाधिकरण, मद्रास, विविध
में, 1953 का केस नं. प्प्.ब.387

ए.वी. विश्वनाथ शास्त्री और एस. सुब्रमण्यन अपीलकर्ताओं के लिए।

एम.एस.के. शास्त्री उत्तरदाताओं के लिए।

5 नवंबर 1957 को निम्नलिखित निर्णय न्यायालय द्वारा परित किया
गया था।

गजेन्द्रगढ़कर जे.- ये तीन अपील अपीलकर्ताओं और उनके कामगारों
के बीच 1951 के दो औद्योगिक विवादों संख्या 24, श्री मीनाक्षी मिल्स
लिमिटेड मद्रुरै के प्रबंधन और श्रमिकों के बीच उत्पन्न हुआ था। जबकि
1951 का विवाद संख्या 26, थियाकेसर अलाई, मनाप्पराई के प्रबंधन और
श्रमिकों के बीच था। दोनों विवाद वर्ष 1950-51 के लिए कामगारों द्वारा
दावा किये गये बोनस से संबंधित थे। कामगारों ने इस आरोप पर वर्ष
1950-51 के लिए बोनस का दावा किया कि दोनों मिलें एक इकाई थीं
और उन्होंने संबंधित वर्ष के दौरान मुनाफा कमाया था। दूसरी ओर
अपीलकर्ताओं ने तर्क किया कि दोनों मिलें दो अलग-अलग इकाईयां थीं
और उनके खिलाफ श्रमिकों द्वारा किये गये बोनस के दावों पर एक साथ
विचार नहीं किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं के अनुसार संबंधित वर्ष के
दौरान व्यापारिक घाटा हुआ था और इस कारण श्रमिकों को कोई बोनस
देय नहीं था। औद्योगिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई

दलीलों को खारित कर दिया, और माना कि दोनों मिले एक ही ईकाई का हिस्सा है, और ये भी निष्कर्ष निकाला कि प्रश्नगत वर्ष के लिए 2,87,676/- रुपये अधिशेष थे, और उक्त रूपयां के विरुद्ध श्रमिकों का बोनस का दावा उचित था। इसलिए न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों को 3 माह का बोनस दिया। इस फैसले के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने मद्रास के श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण में 1952 की दो अपील संख्या 133 व 134 को प्राथमिकता दी गई। इन अपीलों में अपीलकर्ताओं ने दिये गये निष्कर्ष के खिलाफ न्यायाधिकरण में चुनौती दी, और निवेदन किया कि संबंधित वर्ष में बोनस देय नहीं था। श्रमिकों ने भी 1952 की संख्या 168 नामक अपील दायर की, और इस अपील में उन्होंने नीचे दिये गये फैसले की तुलना में और अधिक बोनस का दावा किया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने न्यायाधिकरण के निष्कर्ष की पुष्टि की कि दोनों मिलें एक ही ईकाई का हिस्सा है। अपीलीय न्यायाधिकरण के अनुसार वितरण बोनस के लिए उपलब्ध शुद्ध अधिशेष रुपये 2,57,496 के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा किये गये दावे की अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जांच की गई और तीन वस्तुओं के संबंध में कटौती को धनराशि के संबंध में काफी हद तक अस्वीकार कर दिया गया। अपीलकर्ताओं द्वारा मशीनरी और इमारतों पर मूल्यहास के रूप में 8,43,927/- रुपये का दावा किया गया। अपीलीय न्यायाधिकरण ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के साथ सहमति जताते हुए

कहा कि दावा केवल रूपये की राशि के लिए है। 4,00,000/-रूपये, दूसरे शब्दों में रूपये की शेष राशि में कटौती का दावा स्वीकार्य था, और 4,43,927/-रूपये की राशि के दावे को अस्वीकृत कर दिया गया। यह विशेष रूप से वह निष्कर्ष है जिससे हम वर्तमान अपीलों में सीधे तौर पर चिंतित हैं। इस स्तर पर यह बताया जा सकता है कि बोनस के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध अधिशेष की राशि का निर्धारण करने में, अपीलीय न्यायाधिकरण औद्योगिक न्यायाधिकरण से सहमत था कि अपीलकर्ताओं द्वारा 1,75,000 रूपये की राशि की सीमा तक कराधान का प्रावधान किया गया था। परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं के साथ-साथ उत्तरदाताओं द्वारा की गई अपीलें विफल हो गईं और अपील न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गईं। उनकी अपीलों को खारिज करने के आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति के द्वारा इस न्यायालय में 1956 की वर्तमान सिविल अपील संख्या 218 और 219 को प्राथमिकता दी है।

अपीकर्ताओं ने श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण, विविध के समक्ष समीक्षा के लिए एक आवेदन भी प्राथमिकता दी थी। 1953 का केस नं. III-सी-387 (समीक्षा) इस आधार पर कि श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से गलत था क्योंकि रिकॉर्ड पर एक गलती स्पष्ट थी, जिसे अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों के तहत सही किया

जाना चाहिए, अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि उसके पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी, और यदि उसके पास ऐसी शक्ति थी तो भी ऐसी शक्ति के प्रयोग के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था, क्योंकि रिकॉर्ड के सामने कोई भी गलती स्पष्ट नहीं थी जो नहीं हो सकती थी। इसका पता तब चला जब आदेश पक्षों की उपस्थिति में किया गया। इस निर्णय के विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने विशेष अनुमति द्वारा इस न्यायालय में वर्तमान सिविल अपील संख्या 217/1956 को प्राथमिकता दी।

अपील संख्या 218,219/1956 में मुख्य बिन्दु जो अपीलकर्ताओं की ओर से हमारे समक्ष आग्रह किया गया वह यह है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं द्वारा डेबिट किये गये मूल्यहास के संबंध में अपीलकर्ताओं के दावे को अस्वीकार करने में कानूनी गलती की है। 4,43,927 रुपये की राशि के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा अपने फैसले की समीक्षा से इंकार करने के पारित आदेश के खिलाफ की गई अपील में, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे समक्ष यह आग्रह किया गया कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह मानकर गलती की है कि उनके पास इसकी समीक्षा करने को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत यह तर्क दिया गया कि गुणदोष के आधार पर यह मानना गलत था कि अपीलकर्ता उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए मामला बनाने में विफल रहे हैं।

इस स्तर पर प्रासंगिक वश के दौरान अपीलकर्ताओं की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करना प्रासंगिक हो सकता है, जैसा की अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले में बताया गया है।

पूर्व एम 1 के अनुसार शुद्ध लाभ 2,40,302/- रुपये गलत तरीके से डेबिट की गई राशि मरम्मत आदि की लागत के रूप में रुपये 2,57,793/- माइनस 1,00,000 /- रुपये 1,57,793/- रुपये वर्ष 1949-50 के लिए गलती से डेबिट किये गये बोनस को 1950-51 में जोड़े 1,49,920/- रुपये 1950-51 के लिए अपीलीय कर्मचारियों को दिया गया बोनस जोड़े 37,896/- रुपये कंपनी द्वारा डेबिट किया गया मूल्यहास 8,43,927/- रुपये कराधान के लिए प्रावधान 1,75,000/- रुपये किसी कॉलेज में दान की गई राशि 40,000/- रुपये कुल राशि 16,44,838/- रुपये इस प्रकार सकल कुल लाभ 16,44,838 रुपये जिसमें से निम्नलिखित कटौतियां की जानी है। मूल्यहास की अनुमति 4,00,000/- रुपये लिपिक कर्मचारियों को वर्ष 1950-51 के लिए बोनस का भुगतान 37,896/- रुपये कराधान के लिए प्रावधान 1,75,000/- रुपये पूंजी पर रिटर्न (वरीयता और साधारण शेयर) 2,94,500/- रुपये कार्यशील पूंजी के रूप में उपयोग किये गये रिजर्व रिटर्न 4 प्रतिशत 2,23,946/- रुपये पुनर्वास का प्रावधान (6,56,000/- माइनस 4,00,000 रुपये) 2,56,000/- रुपये कुल राशि 13,87,342/- रुपये

इस प्रकार बोनस के रूप में वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध अधिशेष राशि 16,44,838/- रुपये में घटाकर 13,87,342/- रुपये = 2,57,496/- रुपये चूंकि वर्तमान अपीलों में हम केवल अपीलकर्ताओं द्वारा डेबिट की गई मूल्यहास की राशि से चिंतित है इसलिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के न्यायालय में अपीलकर्ताओं के प्रतिनिधि द्वारा बताये गये मूल्यहास विश्लेषण को निर्धारित करना उपयोगी होगा। सामान्य इस कथन के अनुसार मूल्यहास विश्लेषण, आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है।

“(245 दिन) मद्रै। 3,17,331 38,465 2,87,250

(250 दिन) उसिलामपट्टी सहित 2,23,206

अतिरिक्त 16,077”

गौर करने की बात होगी कि इन राशियों का कुल योग 8,82,329 रुपये बनता है।

अपने नियोक्ताओं के खिलाफ बोनस के लिए श्रमिकों के दावे की वास्तविक प्रकृति और चरित्र अब अच्छी तरह से तय हो गया है। बोनस, जैसा कि इसमें व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ से पता चलता है कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा निशुल्क इनाम का मामला मात्र नहीं है, और न ही यह विलंबित वेतन का मामला है। इस न्यायालय द्वारा मूर्डर मिल्स कंपनी लि. बनाम सूती मिल्स मजदूर यूनियन कानपूर में यह माना गया है कि

”बोनस“ शब्द मजदूरी के अतिरिक्त किये नगद भुगतान पर लागू होता है, यह आमतौर पर नगद प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करता है जो उपस्थिति और दक्षता के कुछ मानकों को प्राप्त करने पर सशर्त दिया जाता है। यह निर्णय इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि श्रम और पूंजी दोनों औद्योगिक की कमाई में योगदान करते हैं, और इसलिए यह उचित है कि श्रमिकों को कुछ लाभ मिलना चाहिए।

उस उद्देश्य के लिए अधिशेष उपलब्ध है फिर भी बोनस के लिए दावा तब तक प्रभावी ढंग से नहीं किया जा सकता जब तक कि दो शर्तों को पूरा नहीं किया जा सकता हो कि श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन जीवन निर्वाह मजदूरी के हित में वर्णित की जा सकने वाली मजदूरी से कम है, और यह दिखाया जाना चाहिए कि जो मुनाफा कमाया है, वह उत्पादन बढ़ाने में श्रमिकों द्वारा किये गये योगदान का परिणाम है इस सवाल का निर्धारण करने में कि क्या अभियोग ने लाभ कमाया है, और यदि हाँ, तो किसी दिये गये वर्ष में शुद्ध अधिशेष कितना है, पहले पूर्व शुल्कों के संबंध में प्रावधान करना होगा। इस सिद्धांत को मिल ऑनर्स एसोसिएशन बाम्बे बनाम राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, बाम्बे(1) के मामले में निर्धारित पूर्ण बेंच ने फॉर्मूले के रूप में वर्णित किया गया है इस सूत्र के अनुसार (1) मूल्यहास(2) पुनर्वास (3) चुकता पूंजी पर 6 प्रतिशत का रिटर्न(4) कम लेकिन उचित दर पर कार्यशील पूंजी पर प्रतिफल (5)

आयकर भुगतान के संबंध में अनुमानित राशि के लिए। हमारे सामने यह सामान्य बात है कि बोनस के लिए श्रमिकों का दावा उचित है या नहीं इस प्रश्न का निर्णय पूर्ण पीठ फॉर्मूला के आलोक में किया जाना चाहिए।

अपीलकर्ताओं ने माना कि इस सवाल का निर्धारण करने में कि क्या उन्होंने संबंधित वर्ष के दौरान व्यापारिक लाभ कमाया है, औद्योगिक न्यायाधिकरण को आयकर अधिनियम के तहत उसी आधार को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह आग्रह किया जाता है कि इस प्रश्न से निपटने में मूल्यहास के संबंध में आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को प्रभावी नहीं करने का कोई औचित्य नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 10 मूल्यहास के संबंध में तीन प्रकार के भत्ते प्रदान करती है। धारा 10(अप) व्यवसाय के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली इमारतों, मशीनरी, संयंत्र या फर्नीचर के मूल्यहास के संबंध में भत्ते से संबंधित है, जो करदाता की संपत्ति है, करदाता को उसकी मूल लागत पर ऐसे प्रतिशत के बराबर राशि की छूट जैसा कि किसी भी मामले या मामलों के वर्ग में निर्धारित किया जा सकता है, और किसी भी अन्य मामलों में उसके लिखित मूल्य पर इतना प्रतिशत निर्धारित किया जा सकता है। किसी भी मामलों या मामलों की श्रेणी निर्धारित की जायेगी, ये भत्ता सामान्य मूल्यहास के रूप में वर्णित के संबंध में है। धारा 10(अप) उन मामलों में प्रारंभिक मूल्यहास के रूप में वर्णित प्रावधान करती है कि जहां भवन नहीं

बनाये गये हैं, या मशीनरी या संयंत्र नया है, (मशीनरी या संयंत्र सी.एल. के तहत विकास छूट का हकदार नहीं है(अप) बी), 31 मार्च 1945 के बाद स्थापित किया गया, जैसा कि निर्धारित है निर्माण या स्थापना के वश के संबंध में एक अतिरिक्त राशि (जो इस खण्ड के प्रयोजन के लिए लिखित मूल्य निर्धारित करने में कटौती योग्य नहीं होगी) सीएलएस द्वारा (ए),(बी) और (सी) एसके 10(अप). फिर एस. 10(अप.) अतिरिक्त मूल्यहास के रूप में वर्णित भत्ते का प्रावधान करता है ये नई बनाई गई इमारतों के मूल्यहास के संबंध में है या मशीनरी या प्लांट के नये होने के संबंध में है, जो 31 मार्च 1948 के बाद स्थापित किये गये है। धारा 10(अप.इ) मशीनरी या प्लांट के नये होने के संबंध में भत्ते का भी प्रावधान करती है। जो मार्च 1954 के 31 वें दिन के बाद स्थापित किया गया है, जो पूरी तरह से निर्धारित द्वारा दिये गये व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है, स्थापना के वश के संबंध में विकास छूट के माध्यम से 25 प्रतिशत के बराबर की राशि निर्धारित को ऐसी मशीनरी या संयंत्र की वास्तविक लागत का प्रतिशत बशर्ते इस खण्ड के तहत कोई भत्ता तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक खण्ड (अप) के प्रयोजन के लिए निर्धारित विवरण ऐसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में निर्धारित द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हों। निर्णय के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या, इस प्रश्न का निर्धारण करते समय कि क्या शुद्ध अधिशेष बोनस के माध्यम से वितरण

के लिए उपलब्ध है या नहीं, औद्योगिक न्यायाधिकरणों के लिए आय के उक्त प्रावधानों के तहत स्वीकार्य संपूर्ण मूल्यहास की अनुमति देना अनिवार्य है।

इस प्रश्न से निपटने से पहले एक तथ्य का उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है, जिस पर दिये दोनों न्यायाधिकरणों ने वर्तमान मामलें में जोर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि, जब कार्यवाही औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी, तो कामगारों द्वारा एक आवेदन किया गया था, जिसमें न्यायाधिकरण से अनुरोध किया गया था कि अपीलकर्ताओं को कामगारों के खातों के निरीक्षण की अनुमति का निर्देश दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने निरीक्षण का आदेश पारित किया और निरीक्षण की अनुमति दे दी गई। इसके बाद 28 फरवरी 1952 को श्रमिकों की ओर से अपीलकर्ताओं ने राशि 8,44,000 के मूल्यहास का दावा किया। लेकिन आखिरकार अपीलकर्ताओं की ओर से न्यायाधिकरण को यह बताया गया कि अपीलकर्ता मांगे गये विवरण देने में सक्षम नहीं थे। औद्योगिक न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण दोनों ने अपीलकर्ताओं के इस आचरण पर प्रतिकूल टिप्पणी की और संभवतः वे प्रश्न में मूल्यहास की राशि के संबंध में अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार थे। हालांकि अपीलकर्ताओं की ओर से श्री विश्वनाथ शास्त्री ने हमारे सामने तर्क दिया कि यद्यपि विवरण प्रदान करने में अपीलकर्ताओं

की चूक पर टिप्पणी करने में नीचे दिये गये न्यायाधिकरण को उचित ठहराया जा सकता है, लेकिन यह स्वयं दावा की गई मूल्यहास की राशि में भारी कमी को उचित नहीं ठहरायेगा। उनका तर्क है कि अपीलकर्ताओं की बैलेंस शीट का विधिवत ऑडिट किया गया है, और न्यायाधिकरणों के लिए 4,43,927 रुपये जैसी बड़ी राशि को मूल्यहास के दावे के तहत अस्वीकार करना उचित नहीं था। मूल्यहास के दावे के तहत 4,43,927 रुपये उनके द्वारा काफी हद तक स्वीकार किया गया है, यदि नीचे दिये गये न्यायाधिकरण प्रारंभिक और अतिरिक्त मूल्यहास के रूप में वर्णित मूल्यहास के दावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो वह अस्वीकार करने में न्यायाधिकरण के निर्णय के औचित्य या शुद्धता को चुनौती नहीं दे सकते थे। इन तथ्यों के आलोक में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाये गये प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

ये प्रश्न उ.प्र. में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण की पूर्ण पीठ द्वारा तय किया गया है। इलेक्ट्रिक सप्लाइ कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी (1) यह सच है कि उ.प्र. इलेक्ट्रिसिटी के प्रावधानों के आलोक में इस मामले में बोनस के सवाल पर विचार किया जाना था। (आपूर्ति) अधिनियम 1948। फिर भी पूर्ण बेंच ने इस मामले में सामान्य विचारों पर विचार किया है और इस मुद्दे पर न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विचलन को विराम दिया है। इस निर्णय के

अनुसार प्रारंभिक मूल्यहास और अतिरिक्त मूल्यहास एक तरह से आसामान्य है। आयकर मूल्यहास में वृद्धि और उन्हें विशेष आकस्मिकताओं को पूरा करने और सीमित अवधि के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए, ये श्रमिकों के लिए उचित नहीं होगा कि इन दो मूल्यहास को उपलब्ध अधिशेष के आंकलन से पहले पूर्व शुल्क के रूप में मूल्यांकित को तंग किया गया, ये संभव है कि, कई मामलों में, यदि दोनों मूल्यहास को पूर्व शुल्क के रूप में अनुमति दी जाती है, कोई अधिशेष नहीं छोड़ा जाएगा, भले ही श्रमिकों ने वर्ष के दौरान सबसे अच्छा काम किया हो। उनकी क्षमता और चिंता सभी उद्देश्यों के लिए समृद्ध थी। दूसरे शब्दों में, इस निर्णय के अनुसार जिन विचारों पर आयकर अधिनियम के तहत अतिरिक्त मूल्यहास का अनुदान उचित ठहराया जा सकता है, वे सामाजिक न्याय और निष्पक्ष बटवारों के विचारों से भिन्न है, जिनपर भुगतान के संबंध में पूर्ण पीठ फॉर्मूला कर्मचारियों को बोनस किस आधार पर दिया जाता है? इसलिए, परिणाम में, इस बाद की पूर्ण पीठ ने केवल सामान्य मूल्यहास, जिसमें एकाधिक शिफ्ट मूल्यहास शामिल है, लेकिन प्रारंभिक या अतिरिक्त मूल्यहास नहीं, को बोनस के भुगतान के रूप में पूर्ण पीठ फॉर्मूला लागू करने में पूर्व शुल्क के रूप में रैंक किया जाना चाहिए। यदि इस पर विवाद नहीं किया जा सकता कि औद्योगिक न्याय निर्णयन में सकल लाभ का पता लगाने और फिर उपलब्ध छूट अधिशेष

की मात्रा का निर्धारण करने के लिए आयकर अधिनियम के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाना अनिवार्य नहीं है तो अपीलकर्ताओं की बात को स्वीकार करना आसान नहीं है। तर्क है कि केवल मूल्यहास के संबंध में औद्योगिक न्यायाधिकरणों को आवश्यक रूप से हर मामलों में आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की पालना करनी चाहिए। यदि ये सही स्थिति है तो हमें कोई कारण नहीं दिखता कि, डेबिट के एक मद के संबंध में बोनस के लिए श्रमिकों के दावे के संबंध में औद्योगिक निर्णयों में केवल आयकर अधिनियम के तकनीकी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर उ.प्र. के मामले में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिये गये कारण संतोषजनक प्रतीत होते हैं, और इसलिए हम अपीलकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वर्तमान मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण ने प्रारंभिक और अतिरिक्त मूल्यहास के लिए अपीलकर्ता के दावे को अनुमति न देकर कोई गलती की है। हमारी राय में, इसलिए मुख्य बिन्दु द्वारा आग्रह किया गया है की अपील संख्या 218,219 /1956 में अपीलकर्ता सफल नहीं हो सका।

हमें अपील संख्या 217/1956 में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाये गये दो बिन्दुओं पर ले जाता है। अपीलकर्ता द्वारा इस अपील में उठाया गया पहला बिन्दु सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के तहत उपयुक्त मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण के अपने आदेशों की समीक्षा करने के

अधिकार क्षेत्र के बारे में है। इस न्यायालय ने हाल ही में मैसर्स में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रयोज्यता के बारे में प्रश्न पर विचार करने का अवसर मिला है। मार्टिन बर्न लिमिटेड बनाम आर.एन.बेनर्जी (1957 की सिविल अपील संख्या 92) धारा 9(1) और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1950 की धारा 10, साथ ही अधिनियम के तहत बनाये गये प्रासंगिक नियमों और आदेशों पर विचार किया गया और यह माना गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर यह लागू होती है। जिसके परिणामस्वरूप अपीलीय न्यायाधिकरण संहिता की धारा 151 और आदेश 41 नियम 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। इस मामले में संहिता के आदेश 47 के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि सिविल प्रक्रिया संहिता श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पर लागू होती है, तो यह स्पष्ट है कि आदेश 47 के प्रावधान इन कार्यवाहियों पर उतने ही लागू होंगे, जितने कि संहिता की धारा 151 या आदेश 41। हमें तदनुसार यह मानना चाहिए अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस निष्कर्ष पर पहुंच कर गलती की है कि संहिता के आदेश 47 के प्रावधानों के तहत वह अपने स्वयं के आदेश की समीक्षा करने का उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

जैसा कि हमने पहले ही बताया है कि, अपीलीय न्यायाधिकरण यह भी माना है कि भले ही उसके पास अपने निर्णय या निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र हो, परन्तु वर्तमान मामलों में वह अपीलकर्ताओं के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यह नहीं दिखाया गया था कि आदेश या निर्णय किसी भी गलती से ग्रस्त था, इसका पता नहीं चल सकता था। जबकि मौजूदा कार्यवाही में दोनों पक्षों की मौजूदगी में खुले न्यायालय में आदेश सुनाया गया हो। अपीलकर्ताओं की ओर से श्री विश्वनाथ शास्त्री का तर्क है कि यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से गलत है और इसे उलट दिया जाना चाहिए। अपने तर्क के संबंध में विद्वान वकील ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। तथ्य यह है कि जब अपील, अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थी, अपीलकर्ताओं के द्वारा एक बयान जारी किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि आय-दक्कन का प्रावधान। औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों के मददे नजर कर को संशोधित करना पड़ा। उनको श्रमिकों के लिए इस धारणा पर भी कि ट्रिब्यूनल द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्ष सही थे, श्रमिकों को बोनस के भुगतान के लिए कोई अधिशेष उपलब्ध नहीं था। अपीलकर्ताओं ने इस बयान में बताया कि यदि 4,43,927 रुपये की राशि को मूल्यहास के रूप में अस्वीकार कर दिया गया जो अनिवार्य रूप से सकल लाभ की मात्रा में जुड़ जायेगा और परिणामस्वरूप आयकर के

प्रावधान को अनुपातिक रूप से बढ़ाना होगा। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि 1,75,000 रुपये राशि के बजाये औद्योगिक न्यायाधिकरण ने आयकर के प्रावधान के माध्यम से 4,75,582 रुपये की राशि की अनुमति देना आवश्यक होगा। अपीलकर्ताओं की शिकायत यह है कि यद्यपि ये बयान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर दिया गया था। अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है।

दूसरी ओर अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ताओं द्वारा उनके समक्ष अपने तर्कों में यह मुद्दा नहीं उठाया गया था, और कोई शिकायत नहीं की गई, और कराधान के लिए आरक्षित होने के लिए उनके द्वारा कोई अधिक राशि का दावा नहीं किया गया अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी देखा कि अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी समीक्षा याचिका में उठाये गये बिन्दु से यह नहीं पता चलता कि किसी भी नये और महत्वपूर्ण मामले की खोज की गई थी, जो उचित परिश्रम के बाद पार्टियों द्वारा नहीं खोजा गया होगा। इसके अलावा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह भी माना कि रिकॉर्ड में देखने पर कोई गलती नजर नहीं आती है। तकनीकी रूप से अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की गई टिप्पणियों में कुछ बल हो सकता है, लेकिन हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष स्पष्ट रूप से और विशेष रूप से इसे मुद्दे को उठाते हुए एक लिखित बयान दायर किया गया

था। इसलिए हम तर्क के गुणां से निपटने का प्रयास करते हैं, और इस आधार पर अस्वीकार नहीं करते कि इस तर्क का उचित स्तर पर आग्रह नहीं किया गया था।

गुणदोष के आधार पर, तर्क यह है कि यदि कुल राशि में से अपीलकर्ताओं द्वारा 8,43,927 रुपये डेबिट किये गये मूल्यहास के लिए, 4,43,927 रुपये की राशि को अस्वीकार कर दिया गया, जो अनिवार्य रूप से सकल मुनाफे की कुल राशि में जुड़ना चाहिए, और यदि उनके श्रमिकों की कुल राशि बढ़ जाती है तो, तार्कित रूप से आयकर की अधिक राशि का प्रावधान किया जाना चाहिए, और प्रथमदृष्टया आकर्षक प्रतीत होता है, लेकिन इस तर्क को स्वीकार करने में ये कठिनाई है कि कार्यवाहियों में औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारित सकल लाभ की कुल राशि आवश्यक रूप से नियोक्ता का कर योग्य सकल लाभ नहीं हो सकती है। हमने पहले भी देखा है कि ऐसे विवादों में नियोक्ता के व्यापारिक लाभ का निर्धारण करने में औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा अपनाई गई विधि आयकर अधिनियम की सभी आवश्यकताओं और प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित सकल लाभ को सकल लाभ माना जाना चाहिए जो आवश्यक रूप से आयकर अधिनियम के तहत कर योग्य होगा। इसके अलावा, यह याद रखना प्रासंगिक होगा कि प्रश्न में कराधान का प्रावधान स्वयं अपीलकर्ताओं

द्वारा किया गया है, और संभवतः यह अपीलकर्ताओं की प्रत्याशा पर आधारित है कि उन्हें आय के रूप में लगभग कितने कर का भुगतान करना होगा, लेकिन इस विचार के अलावा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अपीलकर्ताओं को प्रारंभिक और अतिरिक्त मूल्यहास की मात्रा के संबंध में आयकर के भुगतान में उनके खाते की पुस्तकों में दिखाये गये अनुसार छूट मिलेगी। यह एक अधिकार है जो धारा के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा अपीलकर्ताओं को प्रदान किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत अपीलकर्ताओं जो लाभ पाने के हकदार हैं उसे यह तय करने में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि करधान उद्देश्यों के लिए 1,75,000 रुपये की राशि पर्याप्त है या नहीं, का प्रावधान है या नहीं। हमारा मानना है कि अपीलकर्ताओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि हालांकि सामान्य और अतिरिक्त मूल्यहास द्वारा की गई द्वारा कवर की गई राशि के लिए आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर भी उन्हें इस संबंध में आयकर के भुगतान के लिए प्रावधान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इन दो वस्तुओं का केवल इस आधार पर कि उन्हें औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है, और इस प्रकार कुल सकल लाभ में जोड़ा गया है, जैसा कि निर्धारित किया गया है। न्यायाधिकरण, आयकर के प्रावधान की पर्याप्तता या अन्यथा को अनिवार्य रूप से आयकर अधिनियम के आलोक में निर्णय किया जाना

चाहिए, क्योंकि यह उक्त अधिनियम के तहत है कि कर का भुगतान करने की देयता अंततः निर्धारण की जायेगी। इसके अलावा यदि अपीलकर्ताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है और मूल्यहास की अस्वीकृत वस्तुओं के संबंध में आयकर के माध्यम से अनुमानित रूप से देय राशि अपीलकर्ताओं प्रदान की गई आयकर की अनुमानित राशि जोड़ दी जाती है, तो अनुमति न देने का उद्देश्य ही मूल्यहास की दो वस्तुएं काफी हद तक नष्ट हो जायेंगी। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं के तर्क को अस्वीकार करने का मतलब कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आयकर के प्रावधान में उक्त द्वारा जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त राशि का भुगतान निश्चित रूप से उन्हें नहीं करना होगा। इसलिए, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं द्वारा की गई शिकायत इस आधार पर की गई है कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि गलती से ग्रसित है।

अब हमें संक्षेप में संदर्भित करना आवश्यक होगा

औद्योगिक न्यायालयों के निर्णय जिनपर हमारा ध्यान अपीलीय याचिकाओं के दौरान आकर्षित किया गया है। मॉडल मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स आदि नागपुर बनाम राष्ट्रीय मिल्स मजदूर संघ (1) में, बोनस के निर्धारण के लिए पूर्ण बेंच फार्मूले के निहितार्थ को समझाया गया है कि देखा गया है कि फार्मूले का तात्पर्य ये निर्देशन करना नहीं था कि किसी

कंपनी को अपने पैसे से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फार्मूले को विकसित करने में पक्षकारों के अधिकारों और देनदारियों दो सहरूप में उनके वैध दावों की अनुमानित संतुष्टि परस्पर जुड़ी हुई है, उद्यम में परिचालन की ईकाइयों को समान करने की कोशिश की गई। सूत्र का निर्माण करने वाले विभिन्न घटकों को दिये जाने वाले भार के बारे में राय भिन्न हो सकती है, लेकिन सूत्र को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए, ताकि पूंजी और श्रम के अधिकारों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन हो सके।

संयोग से यह बताया जा सकता है कि यह निर्णय मानता है कि वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ में कटौती आयकर की गणना पर की जानी चाहिए।

आयकर अधिनियम के तहत छूट दिये जाने के बावजूद लाभ से पूर्व शुल्क पिछले वर्ष के नुकसान को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पर विचार व्यक्त किया गया है। महालक्ष्मी वुले मिल्स लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी (1) इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि “भले ही किसी संस्था को पूर्व घाटे या अवशोषित मूल्यहास आदि के कारण आयकर लगाने में छूट की अनुमति दी गई हो, जिन्हें अपने आप में आयकर की राशि का दावा करने से चिंता को रोकने का कोई आधार नहीं है, यदि संबंधित वर्ष में किये गये मुनाफे को ध्यान में रखा गया होता तो आयकर की राशि का

भुगतान करना उत्तरदायी होगा इसलिए, उपलब्ध अधिशेष राशि की गणना में उस व्यापारिक वर्ष के लिए देय आयकर की राशि इस तथ्य की परवाह किये बिना कटौती की जायेगी की कंपनी वास्तव में वर्ष के लिए कर का भुगतान करती है या इसी तरह बैनेट कोलमेन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी मामले में, श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना है कि पूर्व वर्षों के दौरान किये गये अवशोषित मूल्यहास और नुकसान को आयकर अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भविष्य के वर्ष के लाभ के विरुद्ध समायोजित किये जाने की अनुमति दी गई है। जहां कंपनी या तो इस राशि को सकल लाभ के विरुद्ध समायोजित करने का दावा करती है या आयकर की ऐसी राशि में कटौती करने का दावा करती है, जो लाभ पर देय होगी, यदि उक्त दो वस्तुओं को समायोजित नहीं किया जाना है, श्रम को अन अवशोषित हानि और मूल्यहास के आधार पर राहत देने से इंकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और साथ ही उन वस्तुओं पर कर के प्रावधान से इंकार करके अपने लिए लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है, जिन्हें आयकर अधिनियमों द्वारा समायोजित करने की अनुमति दी गई है। परिणामस्वरूप आयकर कम हो जायेगा या कोई कर नहीं लगेगा।” इस प्रकार उक्त निर्णयों से यह प्रतीत होता है कि औद्योगिक न्यायाधिकरणों ने लगातार यह विचार किया है कि प्रासंगिक वर्ष के लिए व्यापारिक लाभ पर गणना की गई आयकर को सकल लाभ से

पूर्व शुल्क के रूप में काटा जाना चाहिए, प्रथमदृष्टया ऐसा कहा जा सकता है कि भले ही नियोक्ता को इस तथ्य का ध्यान में रखते हुए, उसे पिछले वर्ष के दौरान घाटा हुआ था, वह आयकर अधिनियम के तहत छूट का दावा करने का हकदार है। प्रथमदृष्टया यह कहा जा सकता है कि यदि किसी दिये गये वर्ष में बोनस के लिए श्रमिकों के दावे को तय करने का आवश्यक आधार उस वर्ष के लिए उपलब्ध शुद्ध अधिशेष का अस्तित्व है, तो इसकी अनुमति नहीं हो सकती कि नियोक्ता द्वारा किये गये आयकर के प्रावधान उसके पिछले वर्ष के नुकसान को देखते हुए उसे विचाराधीन वर्ष के दौरान आयकर का भुगतान करने के लिए नहीं कहा जा सकता है आखिरकार इस संबंध में गणना केवल विशेष वर्ष के दौरान नियोक्ता की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में की जाती है, और इन गणनाओं में पिछले वर्ष में नियोक्ता के वित्तीय घाटे के संबंध में आयकर अधिनियम के तहत प्रासंगिक वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हालांकि वर्तमान अपीलों में हमें इन मामलों में अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा लिये गये दृष्टिकोण की शुद्धता पर विचार करने के लिए नहीं कहा गया है, और इसलिए हमें मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विश्वनाथ शास्त्री ने बी.ई.एस.पी. वर्कर्स यूनियन बनाम बाम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाइ लिमिटेड (1) और ग्रीव्स कॉटन एंड क्रॉम्पटन पार्किंसन, लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी (1) ये दोनों निर्णय निस्संदेह

हमारे सामने अपीलकर्ताओं के तर्कों का समर्थन करते हैं, लेकिन जो कारण हम पहले ही दे चुके हैं, उनके लिए हमें यह मानना चाहिए कि निर्णय सही या नहीं।

आखिरी मामला जिसपर श्री विश्वनाथ शास्त्री ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है वह बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम उनके कामगार (3) में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय है ये मामला तय करता है कि “आयकर प्रदान करने में, जिस वर्ष के लिए बोनस का दावा किया गया है, उस वर्ष अर्जित अपनी आय पर कंपनी द्वारा देय राशि का पता लगाया जाना चाहिए, कि आयकर की देय राशि वास्तव में किस अवधि के दौरान भुगतान की गई, पिछले वर्ष की आय को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। इस मामले में न्यायाधिकरण ने कहा है कि नियोक्ता द्वारा प्रश्नगत वर्ष के लिए देय आयकर का निर्धारण करना जो इसके द्वारा देय हो सकता है। उस वर्ष के लाभ और हानि खाते के व्यय पक्ष पर दिखाई देने वाले आंकड़ों को मिल्स को मार्शल करना होगा और जांच करनी होगी ये मामला उस बिन्दु को तय करने में ज्यादा मदद नहीं करता जिसके बारे में हम चिंतित हैं।

परिणामस्वरूप अपीलें गुणदोष के आधार पर विफल हो जाती हैं, उक्त अपील कोस्ट सहित खारिज की जानी चाहिए।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती राजवीर कौर आरजेएस द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।